

116/2014

कमला देवी खरिता

दिनांक	आज्ञा पत्र	
--------	------------	--

27.5.24

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को हिदाया दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रैस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। तहत का रिकार्ड प्राप्त शामिल पत्रावली सह / तलब किया जाये। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक ...12.6.24...को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।

24

12.6.24

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को पूर्व पेजी पर हिदाया दी गई है कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रैस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलान्त ने रैस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलतः अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय को इजलास सुनाया गया। पत्रावली फौरत शुक्र लेबर कम्पनी के कर्म लेबर को तलबी तलबील दाखिल दफ्तर में।



श्री प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर- (कैम्प बुन्दुवुर्त)